

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

19/8/2021

अर्धी की ओर से उपस्थित होकर अर्धना
पत्र पेश किया जाने से फ़ावली पेशी
में ली गई। अर्धी की ओर से अर्धना पत्र
पेश कर अर्धना पत्र अस्थायी निषेधारा
को लागू नहीं चलाया जाहिए और विज्ञा
कते की अनुमति चाही गई है। अर्धी का
अर्धना पत्र स्वीकार कर अर्धना पत्र अस्थायी
निषेधारा विज्ञा कते की अनुमति प्रदान
की जाती है। फ़ावली कैसल शुमा व
दफ़ नम्बर से कर होकर दाखिल दफ़ल
है।

कमलाम
पट्टेचानकर
Uttam

उपरवापड अधिकारी
खेतड़ी (हनुम)

